कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.14(4) शिक्षा–1/नागौर/2014 पार्ट, जयपुर दिनांक–07.05.2018 की पालना में ***राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय डिडियाकला, जिला–नागौर एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिडियाखुर्द को शहीद रूपाराम चांगल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिडियाकला जिला–नागौर*** में समन्वित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार समन्वित विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार होगा–

1. समाहित विद्यालय का पृथक कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियन्त्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
2. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यो के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
3. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल–मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थाई परिसम्पतिया, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वत: ही हो जायेगा।
4. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक परिसरों में किया जा सकता है। **परन्तु कक्षा 1–12/1–10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों मे पृथक–पृथक संचालित नहीं होगी।**
5. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिये अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएं सचांलित होगी।
6. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होगे। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा–कक्ष की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त कर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
7. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम से किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतन्त्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक प.11(40)शिक्षा–6/05 पार्ट दिनांक 11.02.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा मानदण्डो के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदो के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव निदेशालय को प्राथमिकता से प्रेषित किये जायेगे। इसके पश्चात् नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

9. बिन्दु संख्या 8 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
10. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/मा/अ–1/आदर्श बी/21312/वो–112014 दिनांक 12.02.2015 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
11. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/अ–I/21312/एकिकरण/2018–19
दिनांकः– 08/05/18

प्रतिलिपि–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी– **संस्थापन** एफ अनु.।
6. अनुभाग अधिकारी– शाला दर्पण कार्यालय हाजा।
7. अनुभाग अधिकारी– सामान्य प्रशासन अनुभाग/आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ
8. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा– नागौर (प्रथम/द्वितीय)
10. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर